न्यायालय:- श्रीमान राजस्व मंडल महोदय म.प्र.कैम्प सागर

R-2719-II/12

1. त्रिलोक चंदतनय स्व. जमना प्रसादराय

2. ईश्वरीय प्रसादतनय स्व. जमना प्रसादराय

दोनो निवासी कुलुआ उर्फ मारूताल दमोह
तह0 व जिला दमोह म.प्र. — पुनरीक्षणकर्तागण

//विरूद्ध//

1. श्रीमति लक्ष्मीबाई बेवा गुलाबचंद जैन

निवासी सिविलवार्ड क्र.4 दमोह जिला दमोह

2. भगवानदास तनय सीताराम यादव

निवासी एच.आई.जी 18 एस.पी.एम.नगरदमोह

3. गोविंद तनयसूरज प्रसाद यादव

निवासी इन्द्रमोहननगर मकानक्र.1 दमोह

4. हुसैन उर्फ जावेद हुसैन तनय अब्बास हसन बोहरा
निवासी मांगज वार्ड नं.2 दमोह तह0 जिला दमोह म.प्र.

— अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू रा.सं.

उपरोक्त नामांकित अपीलार्थीगण अपर कलेक्टर दमोह के पुनरीक्षण प्रकरण श्रीमति लक्ष्मीबाई एवं अन्य विरूद्ध त्रिलोकचंद एवं अन्य पुन.प्र.क्र.42अ/6 वर्ष 2011-12 आदेश दिनांक 16.7.2012 मे पारित आदेश के विरूद्ध निम्न लिखित तथ्यो एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण पेश करते है :-

//पुनरीक्षण के तथ्य//

1. यह कि अनावेदिका लक्ष्मीबाई ने नायब तहसीलदार अभाना तह0 जिला दमोह केसमक्ष इस आशय का एक आवेदन दिनांक 19.8.2011 को लगाया कि जमना प्रसाद ने ख.नं.1/103 रकबा 0.526 हेक्टे. मे से 2.11.82 को .405 हेक्टेयर भूमि कृष्णकांत को विक्रय की शेष रकबा .121 हेक्टे.मे से 100×82=8200 वर्गफिट अर्थात 0.076 हेक्टे.भूमि कु.तान्या ना.बा.पिता रत्नेश सालोमन को 21.2.86 कोविक्रय कर दी थी । तान्या

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2719–दो/2012 जिला–दमोह

त्रिलोक चंदतनय व अन्य विरूद्ध श्रीमती लक्ष्मीबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–दमोह के प्रकरण क्रमांक 42/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16–07–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	